न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 16/2024

उनवान

जोरावर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रामपुरा अहिरान, नसीराबाद
— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र देवकरण,
2. अंजू,
3. अंजली पुत्री घीसू,
4. उर्मिला पुत्री जगन्नाथ,
5. कमला पत्नि जगन्नाथ,
6. काली,
7. कौशल्या पुत्री जगदीश,
8. गंगा पत्नि पूरण,
9. गंगा पत्नी पूरण
10. ग्यानूदेवी पुत्री पूरण,
11. गीता पुत्री सूरजकरण,
12. गोपाल पुत्र सूरजकरण,
13. गौरी पुत्री जगन्नाथ,
14. छौटू पुत्र छोगा,
15. खुमा पत्नि जयराम,
16. रामदेव,
17. हनुमान,
18. बबलू पुत्र जयराम,
19. प्रेम ,
20. मोनिका पुत्री जयराम,
21. जितेन्द्र पुत्र जगदीश,
22. तारा पुत्री जगदीश,
23. नारायण पुत्र पूरण,
24. नौरती पुत्री सूरजकरण,
25. पप्पू पुत्र देवकरण,
26. पांची पुत्री रामचन्द्र,
27. भगवान पुत्र गंगाविशन,
28. भोली पत्नि घीसू,
29. मुकेश पुत्र गोविन्दराम,
30. मंगला पुत्र बालू,

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:39 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

31. महावीर पुत्र देवकरण,
32. महावीर पुत्र जगन्नाथ,
33. माया पुत्री जगदीश,
34. श्रीराम,
35. नेमीचन्द,
36. रमेश,
37. प्रहलाद पुत्र मोन,
38. सुवा,
39. हाबूडी पुत्री मोहन,
40. संतोष पत्नि प्रभू,
41. सुरता पत्नि सत्यनारायण,
42. ओमप्रकाश,
43. मुकेश,
44. दीपक पुत्र सत्यनारायण,
45. रमेश दत्तक पुत्र श्योजी,
46. राधा पुत्री माणू,
47. राधाकिशन पुत्र रामचन्द्र,
48. कान्ता पत्नि रामकिशन,
49. अन्नू,
50. पिंकी पुत्री रामकिशन,
51. रामकिशोर पुत्र जगदीश,
52. रामजीलाल,
53. रामकिशन पुत्र रामचन्द्र,
54. लाली,
55. केसर पुत्री रामचन्द्र,
56. गीता पत्नि वंशी,
57. विमल पुत्र वंशी,
58. ओमप्रकाश पुत्र वंशी,
59. सुप्यार पत्नि रामदयाल उर्फ रामपाल,
60. जीवण पुत्र रामदयाल उर्फ रामपाल,
61. कौशल्या पुत्री रामदयाल उर्फरामपाल
62. लाली,
63. पार्वती पुत्री रामदयाल उर्फ रामपाल,
64. रामदेव पुत्र रामचन्द्र,
65. प्रेमचन्द,
66. रामदेव पुत्र रामधन,
67. विमला,
68. मीरा पुत्री रामधन,
69. रामनिवास पुत्र जगन्नाथ,
70. रामनिवास पुत्र सुरजकरण,
71. रामरतन,
72. रामेश्वर,
73. रामस्वरूप पुत्र लादू,
74. रामसहाय पुत्र बजरंगलाल,

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:39 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

75. रिंकु पुत्री घीसू,
76. लक्ष्मण पुत्र पूरण,
77. लेखराम पुत्र गोविन्दराम,
78. लेखराम पुत्र गणेश,
79. लछमा पुत्री सूरजकरण,
80. लालीदेवी पत्नि गणेश,
81. लालीदेवी पत्नि जगदीश,
82. संतोष पुत्री जगदीश,
83. शिवराज,
84. सत्यनारायण पुत्र जगदीश,
85. सुरेन्द्र पुत्र घीसू,
86. सुरेश पुत्र देवकरण,
87. सरिता पुत्री जगन्नाथ,
88. सुवा पुत्री रामचन्द्र,
89. सीता पुत्री सूरजकरण,
90. धन्नी पत्नि सोहन,
91. बंशी पुत्र सोहन,
92. शेषकरण,
93. गोपाल पुत्र सोहन,
94. संतोष पुत्री सोहन समस्त जातिगण अहीर यादव निवासगण रामपुरा अहिरान तहसील नसीराबाद,
95. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीरबाद

––– अप्रार्थीगण :– 1 से 94 अनुपस्थित
95 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 5.8.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा अहिररान के हाल खसरा नम्बर 2215/2207, 2218/2207, 2222/2214, 397, 398 व 400 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा की सुरक्षा के लिये पत्थरगढाई का आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का दिनांक 15.12.2023 को सीमाज्ञान भी करवाया गया किन्तु पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 94 द्वारा दखलदांजी करते हुये नियमानुसार पत्थरगढी की बात कहते हुये सीमांकन पर एतराज किया गया। प्रार्थी अपनी आराजी की सुरक्षा करवाना चाहता है जिसके लिये पत्थरगढी करवाना आवयक है। उक्त आराजी की पत्थरगढी के अभाव में अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 94 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नहीं पेश कर [illegible] किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया [illegible] विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया [illegible] जा प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.22 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। प्रार्थी

––4

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:39 IST
Reason: SelfAttested

का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य मौके पर विवाद है। पत्थरगढी करने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। पत्थरगढी करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव भी नही पडेगा। राज0 पैरोकर ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। अप्रार्थीगण अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी प्रस्तुत कर सकते है।

अतः ग्राम रामपुरा अहिरान के हाल खसरा नम्बर 2215/2207, 2218/2207, 2222/2214, 397, 398 व 400 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:39 IST
Reason: SelfAttested